निगम के बड़े बकायेदारों का बैंक खाता होगा सील

पटना | वरीय संवाददाता

नगर निगम के होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों का बैंक खाता सील किया जाएगा। कुर्की जब्ती भी होगी। मात्र इतना ही नहीं होल्डिंग टैक्स जमा किए जाने के अद्यतन रसीद की फोटो कॉपी दिए बिना न तो बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा और न ही वाणिज्यकर विभाग निबंधन नंबर ही देगा।

बुधवार को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए हैं। पटना में तीन लाख 69 हजार बिजली के कनेक्शन हैं, जबकि पटना नगर निगम ने मात्र एक लाख 70 हजार मकानों का ही कर निर्धारण किया है। बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं की सूची भी निगम को उपलब्ध करा दी है। 31.32 करोड़ रुपए की मांग के विरुद्ध मात्र 23.22 करोड़ की टैक्स वसूली पर मोदी ने नाराजगी व्यक्त किया।

उन्होंने टैक्स वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। करसंग्राहकों को सुबह सात बजे से 12 बजे तक सिर्फ ड्यूटी का कोरम पूरा करने की बजाए शाम सात बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों से संपर्क कर टैक्स वसूल करने को कहा। अपार्टमेंटों में रविवार के दिन टैक्स वसूली का कार्य करने का निर्देश दिया गया है। एक हजार रुपए से अधिक की राशि हर हाल में चेक के माध्यम से ही लेने का निर्देश दिया गया है। बड़े बकायेदारों की सूची भी तैयार करने का निर्देश दिया। मोदी ने करसंग्राहकों की बहाली करने के लिए विज्ञापन निकालने और पहले की तरह चार फीसदी कमीशन पर नए करसंग्राहकों की बहाली करने का निर्देश दिया है। राजस्व अंचलों के पुनर्गठन पर भी विभाग के अधिकारियों को विचार करने को कहा है। कम्प्यूटरीकरण की दिशा में तेजी से काम करने को कहा गया है ताकि आम लोग घर बैठे ऑन लाइन ई-पेमेंट के माध्यम से होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकें।

बैठक

- कुर्की जब्ती भी होगी, उपमुख्यमंत्री ने दिए कई निर्देश
- कर संग्राहकों को टैक्स वसूली में तेजी लाने का निर्देश